''क्लीनिकल स्टैब्लिशमेन्ट एक्ट'' पर मा0 मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 सरकार की अध्यक्षता में यू0पी0 आई0एम0ए0 सदस्यों के साथ दिनांक 29.05.2017 को अपरान्ह 3.30 बजे से 4.30 बजे तक सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त :-

उक्त बैठक में विशेष रूप में निम्नलिखित ने प्रतिभाग किया :-

1. श्री सिद्धार्थनाथ सिंह, मा0 मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उ0प्र0 सरकार।
2. अरूण कुमार सिन्हा, अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. श्रीमती वी0 हेकाली झिमोमी, सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. श्री मुरली मनोहर लाल, सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. श्री विकास गोठलवाल, आई0ए0एस0।
6. डा0 बद्री विशाल, निदेशक (संचारी रोग), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ मो0 नं0 9454455488।
7. डा0 राकेश कुमार, निदेशक (चिकित्सा उपचार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ मो0 नं0 9415912246।
8. डा0 राजेश कुमार सिंह, सचिव आई0एम0ए0, यूपी स्टेट, मो0 नं0 09719110234।
9. डा0 एल0 एस0 ओझा, पूर्व अध्यक्ष, आई0एम0ए0, मो0 नं0 9335106687।
10. डा0 आशोक अग्रवाल, राष्ट्रीय वाईस प्रेसिडेन्ट, आई0एम0ए0, मो0 नं0 9413547288
11. डा0 ए0पी0 सिंह, पूर्व अध्यक्ष, आई0एम0ए0, यूपी स्टेट, मो0 नं0 9839081121
12. डा0 रूक्शाना खान, पूर्व अध्यक्ष, आई0एम0ए0, लखनऊ, मो0 नं0 98393025328
13. डा0 ए0एम0 खान, पूर्व वाइस प्रेसिडेन्ट, यूपी0 आई0एम0ए0, मो0 नं0 9415409188
14. डा0 आर0पी0 त्रिपाठी, संयुक्त सचिव, आई0एम0ए0, यूपी0 स्टेट, मो0 नं0 9415362565

बैठक में मा0 मंत्री जी द्वारा सर्वप्रथम समस्त प्रतिभागियों का परिचय प्राप्त किया गया। तत्पश्चात बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। उक्त बैठक में लिए गये निर्णय निम्नवत् है :-

1. मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर पर प्राइवेट चिकित्सकों एवं नर्सिंग होम्स के रजिस्ट्रेशन में कठिनाई को देखते हुए मा0 मंत्री जी, द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि समस्त रजिस्ट्रेशन महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें के स्तर से आनलाइन किया जाए जिस हेतु प्रक्रिया जल्द प्रारम्भ की जाए।

2. आई0एम0ए0 के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि पी0सी0पी0एन0डी0टी0 एक्ट के अधीन मा0 न्यायालय के आदेश के उपरान्त निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने के उपरान्त ही सम्बन्धित चिकित्सक उपयुक्त माने जायेंगे। निर्धारित परीक्षा कराने का दायित्व चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा के0जी0एम0यू0, लखनऊ को दिया गया है।

इस सम्बन्ध में मा0 मंत्री जी द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों के संचालन में आ रही कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए के0जी0एम0यू0, लखनऊ

द्वारा शीघ्रातिशीघ्र टेस्ट की प्रक्रिया प्रारम्भ कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाए।

3. आई0एम0ए0 के प्रतिनिधियों द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि नर्सिंग होम्स एवं अन्य व्यावसायिक संस्थानों हेतु पार्किंग व्यवस्था की अनिवार्यता में विकास प्राधिकरणों द्वारा छूट दिये जाने/सार्वजनिक पार्किंग स्थान पर बनाये जाने विषयक बिन्दु पर मा0 मंत्री जी द्वारा स्पष्ट किया गया कि मा0 न्यायालय के विरूद्ध कोई भी निर्देश दिया जाना सम्भव नहीं है।

4. आई0एम0ए0 के प्रतिनिधियों द्वारा मांग की गयी कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को प्रभावी बनाने हेतु थाने स्तर से लेकर जिले स्तर तक के सम्बन्धित अधिकारियों को मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के प्राविधानों को सक्षम तरीके से लागू किये जाने हेतु स्पष्ट निर्देश समक्ष स्तर के अधिकारियों से निर्गत कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित कराया जाए।

5. आई0एम0ए0 के प्रतिनिधियों द्वारा मांग की गयी कि एकल चिकित्सक क्लीनिक को क्लीनिकल स्टैब्लिशमेन्ट एक्ट के प्राविधानों से मुक्त किया जाए तथा एक्ट में उल्लिखित प्राविधान आकस्मिक स्थिति में मरीज को स्टेब्लाइजेशन किये जाने के स्थान पर प्राथमिक उपचार का प्राविधान किया जाए।

इस बिन्दु पर मा0 मंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया कि महानिदेशक की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर इस पर यथोचित निर्णय लिया जाए।

6. आई0एम0ए0 के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश के अन्दर उत्तीर्ण होने वाले विभिन्न प्रकार के सभी पैरामेडिकल कार्मिक राजकीय सेवाओं में सेवायोजित हो जा रहे है, जिसके कारण उन्हें प्रशिक्षित मैनपावर नहीं मिल रहे है।

इस बिन्दु पर आई0एम0ए0 के प्रतिनिधियों द्वारा सुझाव दिया गया कि चिन्हित राजकीय चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सक के अन्तर्गत विशेषज्ञतावार सर्टिफिकेट कोर्स कराने का प्राविधान कराया जाए जिसके उपरान्त विभिन्न नर्सिंग होम्स में पूर्व से कार्यरत एवं दक्ष कार्मिकों को 500 दिन का निर्धारित सर्टिफिकेट कोर्स कराकर उनको मान्यता दिलायी जाए।

इस बिन्दु पर भी मा0 मंत्री जी द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें की अध्यक्षता में एक बैठक कराकर यथोचित कार्यवाही कराये जाने के निर्देश दिये गये।

7. मा0 मंत्री जी द्वारा आई0एम0ए0 के प्रतिनिधियों से अपेक्षा की गयी कि अपने प्रत्येक जिले के विशेषज्ञ सदस्यों की सूची उपलब्ध करायें, जिससे कि आवश्यकतानुसार सामु0स्वा0केन्द्र/जिला चिकित्सालयों/अन्य चिकित्सालयों में उनकी सेवा प्राप्त की जाए। सेवा सम्बन्धी दिशा–निर्देश अलग से उपलब्ध कराया जाएगा।

इसी के साथ ही मा0 मंत्री जी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गयी।

(वी0 हेकाली झिमोमी)
सचिव।